



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062023-246548
CG-DL-E-15062023-246548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2023/ज्येष्ठ 24, 1945

No. 347]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2023/JYAISHTHA 24, 1945

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(विकास आयुक्त का कार्यालय)

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2023

सा.का.नि. 434(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, के अवर श्रेणी लिपिक, साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किये जाने का लोप किया गया है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का नाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संगठन, अवर श्रेणी लिपिक, साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद, भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि-** इस संबंध में भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में दिए गए निर्देशानुसार होंगे।

4. **निरर्हता :-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, के साथ विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य नियमावतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में वेतन-स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
अवर श्रेणी लिपिक।	144* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर-2 (रुपए 19900-63200/-)	चयन।	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच। (केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टिप्पण: आयु-सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा-विज्ञप्ति तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 12 या समतुल्य अर्हता; तथा (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाव (की-डिप्रेसन) के हिसाब से 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच समरूप हैं)	हां, स्तंभ 11 में उपदर्शित सीमा तक।	दो वर्ष।	(क) 85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ख) 10 प्रतिशत विभागीय अर्हक परीक्षा के द्वारा; तथा (ग) 5 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>विभागीय अर्हक परीक्षा: ऐसे समूह 'ग' कर्मचारी जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर-1 में हैं और कक्षा 12 उत्तीर्ण हैं या समतुल्य अर्हता रखते हैं और श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं। परीक्षा की पात्रता हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए 50 वर्ष है)।</p> <p>टिप्पण: यदि रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों के नाम पर अगले वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए इस प्रकार विचार किया जाएगा कि पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने कर्मचारियों के नाम पर बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके।</p> <p>प्रोन्नति: रिक्तियों को ज्येष्ठता-सह उपयुक्तता के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों द्वारा भरा जाएगा जिनकी 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर-1 में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा है।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक या संयुक्त निदेशक - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक - सदस्य; तथा 3. सहायक निदेशक श्रेणी-I/ श्रेणी-II (प्रशासन) - सदस्य <p>विभागीय पुष्टि समिति :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक या संयुक्त निदेशक - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक - सदस्य; तथा 3. सहायक निदेशक श्रेणी-I/ श्रेणी-II (प्रशासन) - सदस्य 	<p>लागू नहीं।</p>

[फा. सं. ए-12035/3/2023-ए(पीएंडटी)]

पंकज कुमार झा, उप निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**(Office of the Development Commissioner)****(MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June, 2023

G.S.R. 434(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution, and in supersession of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organisation, Lower Division Clerk, Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organization, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (i) These rules may be called the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, the Micro, Small and Medium Enterprises Development Organization, Lower Division Clerk, General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial, Post, Recruitment Rules, 2023.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**- The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.**— No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lower Division Clerk.	*144(2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 (Rs. 19,900-63,200/-).	Selection.	Between 18 And 27 years of age (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial

					date for determine the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th class or equivalent qualification from a recognized Board or University; and (ii) A typing speed of 35 words per minute (w.p.m.) in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of five key depressions for each word).	Yes, to the extent indicated in column 11.	Two years.	(i) Eighty Five Percent by direct recruitment through staff selection commission; (ii) Ten per cent by departmental qualifying examination; and (iii) Five per cent by promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Departmental qualifying examination: Group "C" Staff in the Pay Level-1 as per 7th CPC and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the candidates belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities) Note: If more of such employees than the number of vacancies available qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination Promotion: The vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from group "C" employees who have rendered three years regular service in posts with the Pay Level-1 as per 7th CPC.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Director or Joint Director – Chairman; 2. Deputy Director – Member; and 3. Assistant Director Grade I or Assistant Director Grade-II (Administration) – Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of : 1. Director or Joint Director – Chairman; 2. Deputy Director – Member; and 3. Assistant Director Grade I or Assistant Director Grade-II (Administration) – Member.	Not applicable.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior shall also be considered provided they are short of the requisite Qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period if prescribed.		
---	--	--

F. No. A-12035/3/2023-A(P&T)

PANKAJ KUMAR JHA, Dy. Director (Administration)